मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की आलोचना (Criticism of Mental Health Act 1987)

"मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम" 1987 की विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत करते हुए आलोचना की है। इस आलोचना के निम्नलिखित बिन्दु है।

① इस अधिनियम में उन नीतियों का कोई वर्णन नही किया है जो कि 1978 में की गई (निर्धारित) थी। 1978 की नितियां भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर आधारित थी।

② इस अधिनियम में कानूनी व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया है तथा उपचार के पक्ष पर कम बल दिया गया है जबकि एक रोगी के लिए कानून से बढ़कर उपचार महत्व पूर्ण होता है।

③ इस अधिनियम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्डो पर खरा नही उतरा।

इस अधिनियम के माध्यम से अपराधी माना है।

(4) इस अधिनियम के माध्यम से अपराधी मानसिक रोगियों को सुधारने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुयी। इस अधिनियम में कोर्ट के आदेशों को ही स्वीकार करने की बात कही गयी।

(5) इस अधिनियम में परिवार एवं सामाजिक व्यवस्था की उपेक्षा की गयी है। परिवार एवं समाज के अच्छे व्यवहार एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्यों से मानसिक विकृतियों को सुधारा जा सकता है।

(6) इस अधिनियम में उन परिवार वालों तथा अधिकारियों को दण्डित करनेवाला का कोई प्रावधान नहीं था जो कि अनावश्यक रूप से सामान्य मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों को इन चिकित्सालयों में बंदी बनाकर रखते है। यह कार्य वह अपने स्वार्थ के लिए करते है।

(7) यदि एक बार कोई मानसिक रोगी किसी मानसिक रोग के कारण चिकित्सालय में प्रवेश कर जाता है तो समाज में उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। जब कि ऐसी अवधारणा

गलत है। इस प्रकार की अनेक अवधारणाओं को समाप्त करने का प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है।

(8) मनोविकृति चिकित्सालयों में प्रवेश दिलाने एवं उपचार व्यवस्था में परिवार के व्यक्तियों को तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन चिकित्सालयों में उचित देखभाल की व्यवस्था नहीं होती।

(9) इस अधिनियम में रोगी के घर पर देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं है। जब कि मानसिक रोगी अपने परिवार के साथ रहकर स्वास्थ्य लाभ शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है।

(10) इन चिकित्सालयों में शुल्क तथा उपचार की व्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि का क्रम चल रहा है, जो कि अनुचित है।

(11) इस प्रकार के रोगियों को घर तक छोड़ने एवं अस्पताल तक जाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस कार्य को पुलिस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में अनेक दोष है। इसके बाद भी यह अधिनियम मानसिक विकृति से ग्रसित, बालक- बालिकाओं छात्र- छात्राओं एवं व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इस अधिनियम के आधार पर उनके अधिकारों की रक्षा सम्भव हुई।

"भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 - (Rehabiliation Council INDIA Act) 1992

विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वासन परिषद कानून, 1992 (Rehabiliation Council of India Act, 1992 बनाया गया था। इसका मुख्य हेतू विशिष्ट शिक्षा के कार्यों के नियंत्रण के लिए परिषद को अधिकार देना था। पाश्चिमी देशों ने तो प्रारम्भ से ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये लेकिन भारत में इस प्रकार के प्रयास व कानून कम थे। लेकिन 1964 के बाद कई वर्षों के अन्दर ही बाधित बालकों की शिक्षा हेतू संस्थाओं की स्थापना की गई।

भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992

भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था यह अपने संवैधानिक रूप में 1993 में आया। भारतीय पुनर्वास परिषद को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि नियोग्य व्यक्तियों को जो भी सुविधायें दी जाती है उनका क्रियान्वयन नियंत्रित करें। पाठ्यक्रम को प्रमापीकृत करें हुए पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी पेशेवर काम कर रहे है उनका लेखा (Central Rehabilitation Register) के रूप में तैयार करें। इस अधिनियम के तहत उन लोगों के विरोध में ठोस कदम उठाये जायें जो बिना इस क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान कर रहे है भारतीय पुनर्वास परिषद अपने आप में एक सरकारी संस्था है। इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त है कि नियोग्य वांछित और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम व कोर्स बनाये गये है उनको नियंत्रित करें। सन 2000 में इसमें आवश्यक सुधार भी हुए थे। जिसमे कुछ परिभाषाओं को भी जोड़ा गया।

Important Calls	✓	Things to Do	✓	Meetings
	☐		☐	
	☐		☐	
	☐		☐	

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के उद्देश्य (Aims of Rehabilitation Council INDIA Act)

1. विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित व्यावसायिक कार्मिकों को विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यावसायिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।
3. देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से उच्च मानकों को विनियमित करना।
4. निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातक डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं / विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान कराना।
5. विदेशी विश्वविद्यालयों / संस्थाओं द्वारा डिग्रियों / डिप्लोमाओं प्रमाण-पत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।
6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों / कर्मिकों के केन्द्रिय पुनर्वास

Important Calls

Things to Do

Meetings

रजिस्टर का रख-रखाव करना।

(7) भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।

(8) देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

(9) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को अन्तर्विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।

(10) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कर्मियों को पंजीकृत करना।

(11) ऐसे रिक्त स्थान, जिनके नियोजन चाहने वाले निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है।